निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–43/19
दायरा दिनांक :– 8.4.19
निर्णय दिनांक :– 26.8.22

उनवन

कुन्दलाल उम्र 63 वर्ष पुत्र श्री लालचन्द जाति पंजाबी खत्री निवासी मकान नं. 27 बाबजी नगर बारां जिला बारां राज0
–प्रार्थीगण

बनाम

1. रितेश कुमार उम्र 39 वर्ष पुत्र श्री कुन्दनलाल जाति खत्री पंजाबी
2. आरती उम्र 36 वर्ष पत्नि श्री रितेश कुमार जाति खत्री पंजाबी निवासी मकान नं. 27 बाबजी नगर बारां, जिला बारां राज0
–अप्रार्थीगण

कार्यवाही अंतर्गत धारा 4 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007

निर्णय दिनांकः– 26.8.22

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 4 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी 63 वर्षीय वृद्ध है एवं उसकी पत्नि सुभाष कुमारी उम्र 63 वर्षीय वृद्ध अशक्त जन है। जिनके पास अचल संजत्ति मकान दो मंजिला वाके बाबजी नगर बारां में मकान नंबर 27 स्वअर्जित स्वनिर्मित है जिसमें निवास करते है। प्रार्थी के अप्रार्थी कम 1 पुत्र व अप्रार्थीया कम 2 पुत्रवधू है। अप्रार्थीया कम 1 वशं ट्रान्सपोर्ट के नाम से बारां में व्यवसाय करता है स्वयं के स्वामित्व के 4 बडे ट्रकों संचालन से 1,00,00/– रू. अक्षरे एक लाख रू. आय अर्जित करता है। अप्रार्थीगण प्रार्थी के मकान नंबर 27 की प्रथम मंजिल पर अपने परिवार सहित निवास करते है। जिन्होने प्रार्थी व उसकी पत्नि के स्वामित्व के मकान की प्रथम मंजिल निवास हेतु इस शर्त पर ली हुई है कि वे प्रार्थी व उसकी पत्नि के भरण पोषण के लिए प्रतिमाह 25,000/–रू. अक्षरे पच्चीस हजार का भुगतान करते रहेंगे परन्तु अप्रार्थीगण अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे है तथा जबरन संपत्ति पर काबिज बने हुए है। अप्रार्थीगण दोनों प्रार्थी व उसकी पत्नि सुभाष कुमारी से आये दिन लडाई झगडा एवं गाली गलोच करते है। अप्रार्थीया कम 2 कभी घासलेट डाल कर जलने, कभी छत से कूद कर जान देने की धमकी देकर प्रताडित करती है दिनांक 12/10/2018 को भी लडाई झगडा कर जलने का प्रयास करने लगी। प्रार्थी व उसकी पत्नि ने रोका तो धक्का मुक्की एवं मारपीट की दिनांक 24/10/2018 को महिला थाना [illegible] अप्रार्थीया कम 2 ने एक मिथ्या रिर्पोट प्रस्तुत की जहां थानाधिकारी द्वारा बुलाने पर प्रार्थी व उसकी पत्नि गये तो दोनों अप्रार्थीगण ने उनसे दुर्व्यवहार किया व बार बार आत्महत्या कर प्रार्थी व उसकी पत्नि को जेल भिजवाने की धमकी दी। दोनों अप्रार्थीगण के दुर्व्यवहार एवं प्र[illegible]ना के कारण प्रार्थी व उसकी पत्नि का

(2)

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:19:31 IST
Reason: Self Attested

Scanned with CamScanner

जीवन सकंटापन्न एवं असुरक्षित होकर वित्तिय एवं सामाजिक सुरक्षा समाप्त हो गई है। अप्रार्थीगण ने पर्याप्त आय होते हुए, प्रार्थी की संपत्ति पर जबरन काबिज रहते हुए प्रार्थी व उसकी पत्नि को वित्तिय समर्थन, देखरेख, इलाज, भरण पोषण एवं गरिमा से वंचित किया हुआ है इस कारण अप्रार्थीगण प्रार्थी की संपत्ति रिहायशी मकान पर क्षण भर भी कब्जा बनाये रखने के अधिकारी नहीं है।

प्रतिपक्ष द्वारा दिनांक 15/03/2019 को प्रार्थी की पत्नि के कमरे में आकर सामानो की तोड फोड कर दी जिसकी सूचना पुलिस को दी गई परन्तु उन्होंने कोई कार्यवाही नहींक करने से प्रतिपक्षगण को बेदखल करने के अतिरिक्त कोई उपचार प्रार्थी के पास नहीं है इस कारण इस कार्यवाही को प्रस्तुत करने का कारण दिनांक 15/03/2019 को बमुकाम बारां उत्पन्न हुआ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ नक्शा प्लाट नं. 21, पानी के बिल की फोटो कॉपी गैस पास–बुक की कॉपी, फोटो कॉपी आधार कार्ड सुभास कुमारी, फोटो कॉपी राशन कार्ड कुन्दनलाल, फोटो कॉपी आधार कार्ड कुन्दनलाल पेश की गई। साक्ष्य प्रार्थी में कुन्दनलाल के बयान कराये गये। साक्ष्य अप्रार्थी में रितेश कुमार के बयान कराये गये।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की अचल सम्पत्ति मकान दो मंजिला वाके बाबजी नगर बारां में स्वनिर्मित है जिसमें निवास करते है प्रार्थी का एक पुत्र व एक पुत्र वधु है अप्रार्थी कम वशं ट्रांसपोट के नाम बारां में व्यवसाय करता है अप्राथीगण, प्रार्थी के मकान की प्रथम मंजिल पर रहता है अप्रार्थी द्वारा यह इस शर्त पर मकान में रहने का वायदा किया कि प्रार्थी व उसकी पत्नि को भरण पोषण के लिए 25000/–रू. प्रतिमाह देते रहेंगे। परन्तु अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को भरण पोषण के लिए एक पैसा नहीं दिया तथा जबरन संपत्ति पर काबिज बने हुए है। अप्रार्थीगण प्रार्थी व उसकी पत्नी से आये दिन लडाई झगडा एवं गाली गलोच करते है अप्रार्थीया कम 2 केरोसीन डालकर जलने तथा छत से कूदकर जान देने की धमकी देकर प्रताडित करती है। अप्रार्थीया बार–बार आत्महत्या कर प्रार्थी व उसकी पत्नी को जैल भिजवाने की धमकी देती है। अप्रार्थीगण प्रार्थी के मकान पर जबरन कब्जा कर रखा है मकान को खाली नहीं कर रहे है। प्रार्थी द्वारा मकान खाली करवाने का निवेदन किया है।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दोहराया गया वकील अप्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी से कभी दुर्व्यवहार अपमान नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण को प्रार्थी द्वारा प्रताडित किया जा रहा है मकान प्रार्थी की पत्नि के नाम होने के कारण बार–बार घर से निकालने किी धमकी दी जाती है प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सहमति से उक्त मकान का निर्माण किया गया है प्रार्थी उक्त मकान को खाली करने की धमकियां दे रहे है। तथा अप्रार्थीगण से मकान खाली करवाना चाहते है प्रार्थीगण, अप्रार्थी कम 1 के माता पिता है मैं अपने माता पिता को कभी दुख नहीं देना चाहता हुं। परन्तु

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:19:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को नाजायज परेशान करना चाहते है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल रजिस्ट्री पटटा मय नक्शा के अनुसार श्रीमति सुभाष अदलक्खा पत्नी श्री कुन्दनलाल अदलक्खा के नाम होना पाया जाता है। इससे यह साबित होता है कि मकान प्रार्थीगण के नाम है तथा प्रार्थी द्वारा ही मकान बनवाया है अप्रार्थीगण प्रार्थी को भरण पोषण एवं खाना आदि नहीं देते है। तथा नाजायज प्रार्थीगण को परेशान करते है तो प्रार्थी अप्रार्थीगण को मकान से निकालने का अधिकारी है प्रार्थी वृद्ध होने के कारण अप्रार्थीगण (बेटा व बहू) माता पिता को खाना, दवाई वगैरा नहीं देंगे तो प्रार्थी अपने मकान से निकाल सकता है उनका कोई अधिकार नहीं है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 स्वीकार करने योग्य है।

कियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है थानाधिकारी कोतवाली बारां को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी के मकान नं. 27 बाबजी नगर बारां से अप्रार्थीगण को बेदखल कर कब्जा एक माह के अंदर प्रार्थी व उसकी पत्नी को दिलाया जावे। तथा अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थी के मकान पर कब्जा नहीं करें।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड़ अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:19:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner